# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 464/2025

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 24.12.2025

**डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 24.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस नोट दिनांक: 23.12.2025
जनपद आजमगढ़

□सड़क पर चढ़ा शुरूर तो जेल जाओगे जरूर□

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के नेतृत्व में नशेबाजों पर की गई बड़ी कार्यवाही-

➡ आपरेशन सड़क पर सुरूर अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा नशेबाजों के विरुद्ध की जा रही है कार्यवाही-

➡ सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वाले कुल 406 व्यक्तियों को दिनांक- 23.12.2025 को जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर नियमानुसार धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने दिए खुलेआम नशेबाजी करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश-

□जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों/शराब का सेवन करनें वालों पर कारवाई के निर्देश-
□"आपरेशन सड़क पर सुरूर" चलाकर पुलिस उतारेगी नशेबाजों के नशा का शुरूर
□कार्यवाही के साथ ही मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति किया जा रहा जागरूक
□कानून व्यवस्था को मजबूत रखने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ ही मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है मकसद
□नशे के कारण परिवार को बिखरने से बचाना व युवा पीढ़ी को इस ज़हर से दूर रखना आजमगढ़ पुलिस का उद्देश्य-

□शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति फेज 5 के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर/ग्रामीण) एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में आजमगढ़ पुलिस द्वारा "आपरेशन सड़क पर सुरूर" अभियान शुरू किया गया है। जिसके तहत जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों/शराब का सेवन करनें तथा अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के तहत जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष को "आपरेशन सड़क पर सुरूर" अभियान लगातार चलाकर शराबी, नशेड़ी एवं अन्य प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन करने वाले अभ्यस्त व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं ऐसे संदिग्ध स्थलों (हाट स्पॉट) का चिन्हीकरण करते हुए प्रभावी/विधिक कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु सख्त निर्देश दिये गये हैं।

□आजमगढ़ पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रहीं बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में विधिवत जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

➡“आपरेशन सड़क पर सुरूर” अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जा रहा है।

## प्रेस- विज्ञप्ति
## थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़
## किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 18.12.2025 को प्रार्थी की पुत्री घर से पढ़ने के लिए निकली जो घर नही आयी। वादी द्वारा पता करने पर मालूम हुआ कि कुनाल पुत्र रोशन राम ग्राम मंगरावा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ जिसकी बहन की शादी प्रार्थी के घर के बगल मे हुयी है । वादी की पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 542/25 धारा 137(2), 87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 24.12.2025 को उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कुनाल कुमार पुत्र रोशन लाल सा0 मंगरावा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को ग्राम जाफरपुर से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–** उ0नि0 रामगोपाल त्यागी, हे0 का0 भैयालाल, का0 अभिषेक यादव, हे0का0 धनन्जय चौधरी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

## प्रेस- विज्ञप्ति
## थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़
## किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 18.12.2025 को वादी की लडकी को अभियुक्त गुड्डू राम पुत्र अज्ञात ग्रा मगरावा थाना गम्भीरपुर आजमगढ बहला-फुसला कर भागा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 543/25 धारा 137(2), 87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 24.12.2025 को उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डु बनवासी पुत्र सुनील बनवासी सा0 मंगरावा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को ग्राम जाफरपुर से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-** गुड्डु बनवासी पुत्र सुनील बनवासी सा0 मंगरावा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम** – उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह हे0 का0 भैयालाल व का0 अभिषेक यादव , हे0का0 धनन्जय चौधरी

## प्रेस- नोट
## थाना- जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
## अवैध तमन्चा-कारतूस के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 23.12.2025 को **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़** द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभिय़ान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सगडी महोदय के कुशल निर्देशन में उ0नि0 अजय यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त सोफियान पुत्र मुस्तफा निवासी चुनुगपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को ग्राम अहिरौली मोड से समय करीब 21.55 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से **01 अदद तमंचा .312 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .312 बोर बरामद** हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 525/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** सोफियान पुत्र मुस्तफा निवासी चुनुगपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।
**बरामदगी-** 01 तमंचा .312 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .312 बोर।
**आपराधिक इतिहास-** **1.** मु0अ0सं0 525/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
**2.** मु0अ0सं0 218/2017 धारा 379/411 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
**3.** मु0अ0सं0 254/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 अजय यादव, का0 बिन्द्रेश गौड़, का0 राजेश यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

**प्रेस- नोट**
**थाना- फूलपुर, जनपद आजमगढ़।**
**किशोरी के साथ दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना–** दिनांक 24-12-2025 को मुकदमा वादी द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0पत्र दिया गया कि वादी की पुत्री के साथ अभियुक्त विशाल यादव पुत्र कमलेश यादव ग्राम भीखपुर पो0 अम्बारी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने दुष्कर्म किया तथा विडियो बनाकर वायरल कर दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 590/2025 धारा 65(1)/351(3) BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट 67ए आईटी एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ बनाम विशाल यादव पुत्र कमलेश यादव ग्राम भीखपुर पो0 अम्बारी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ आदि के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक सरायमीर आजमगढ द्वारा सम्पादित की जा रही है।
**गिरफ्तारी का विवरण–** आज दिनाक 24.12.2025 को थानाध्यक्ष फूलपुर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल यादव पुत्र कमलेश यादव ग्राम भीखपुर पो0 अम्बारी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को खान्जहापुर से समय करीब 11.55 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-** विशाल यादव पुत्र कमलेश यादव ग्राम भीखपुर पो0 अम्बारी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष
**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0-590/2025 धारा 65(1)/351(3) BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67ए आईटी एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–** थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द, उ0नि0 अजयप्रताप सिंह, का0 सुनील यादव, का0 अभिषेक गौड, का0 श्रीकान्त थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

**प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 24.12.2025, जनपद आजमगढ़**

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप **04 आरोपी अभियुक्तो** को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को **आजीवन कारावास व** अभि0 रामबरन पुत्र बुझावन को **1 लाख 55 हजार रुपये व शेष अभियुक्तगण प्रत्येक को 1 लाख 50 हजार रु0 के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।
**थाना अतरौलिया में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के 04 आरोपी अभियुक्तो को आजीवन कारावास व** अभि0 रामबरन पुत्र बुझावन को **1 लाख 55 हजार रुपये व शेष अभियुक्तगण प्रत्येक को 1 लाख 50 हजार रु0 के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक-16.01.2019 को वादिनी मुकदमा मीरा पुत्री रामसरित निवासी हर्दिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. रामबरन पुत्र बुझावन 2. कालीचरन पुत्र पुनवासी 3. रामकेश पुत्र बाबूलाल निवासीगण देवडीह वसरिका थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 4. अरविन्द पुत्र राम नयन निवासी फुलवारी

थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर  के द्वारा मेरे पिता रामसरित को पुरानी रंजिश को लेकर सोते समय धारदार हथियार से हमला कर जान से मार देना।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 10/2019 धारा-302,307,34 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 9 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 24.12.2025 को मा0 जनपद न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रामबरन पुत्र बुझावन 2. कालीचरन पुत्र पुनवासी 3. रामकेश पुत्र बाबूलाल निवासीगण देवडीह वसरिका थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 4. अरविन्द पुत्र राम नयन निवासी फुलवारी थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर **को दोषसिद्ध पाते हुए** प्रत्येक को **आजीवन कारावास व** अभि0 रामबरन पुत्र बुझावन को **1 लाख 55 हजार रुपये व शेष अभियुक्तगण प्रत्येक को 1 लाख 50 हजार रु0 के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

## प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 24.12.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप **01 आरोपी अभियुक्त** को मा0 न्यायालय द्वारा चोरी के  आरोप में दोषी करार देते हुए  3 **वर्ष के कठोर कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया

**थाना अहरौला में पंजीकृत अपराध जिसमें चोरी के आरोप मे अभियुक्त को** 3 **वर्ष के कठोर कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

➞ दिनांक- 07.01.2023 को वादी मुकदमा श्री राकेश यादव पुत्र रामा यादव  निवासी अतरौलिया थाना  अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 05.01.2023 को रात्रि मे **अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र स्व0 चन्द्र प्रकाश सिंह  निवासी तिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ़ के द्वारा इन्डस कम्पनी के टावर की 40 अदद बैट्री चोरी करना।**

➞ अभियुक्त के विरूद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 06/2023 धारा-379,34,411,413,414  भादवि पंजीकृत किया गया।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➞ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है।

➞ जिसके क्रम में दिनांक- 24.12.2025 को मा0 न्यायालय FTC-1 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **संतोष सिंह पुत्र स्व0 चन्द्र प्रकाश सिंह  निवासी तिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए** 3 **वर्ष के कठोर कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।